अनुलग्नक I

{ऋणदाता संस्थानों द्वारा निष्पादित किये जानेवाला अनुबंध प्रपत्र}

सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
निम्न आय वर्ग हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास,
राष्ट्रीय आवास बैंक

महोदय,

निम्न आय वर्ग हेतु **ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास** को ध्यान में रखते हुए (इसके बाद इसे ''न्यास'' के रूप में संदर्भित किया जाएगा जबतक कि यह प्रतिकूल संदर्भ न दें, इसके साथ ही इसके उत्तराधिकारी एवं निर्दिष्ट करना भी शामिल है।) निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि योजना के आवास ऋण हेतु सहमति देते हैं (एक प्रति यहां संलग्न है जिसे अब से आगे योजना के रूप से संदर्भित किया जाएगा), जिसकी ऋणराशि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय समूह की शहरी जनसंख्या हेतु वैयक्तिक ऋणकर्ता हेतु 8 लाख रू. से अधिक नहीं हो रही है, मैं/हम------------------(ऋणदाता संस्थान का नाम) निम्नानुसार न्यास के साथ सहमति देते हैं:

1. कि इस करारनामे के प्रावधानों के अतिरिक्त, न कि अप्रतिष्ठा में, योजना के प्रावधानों एवं समय-समय पर न्यास द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं अनुदेश भी होंगे।

2. कि इस योजना के प्रावधानों एवं समय-समय पर किए जाने वाले संशोधनों को इस करारनामें का हिस्सा माना जाएगा और हमसे आबद्ध होंगे, इसमें फिलहाल ऋणकर्ता को दिए जाने हमसे संस्तुत आवास ऋण है जो कि ऋणकर्ता है या इसके तहत संस्तुत किए जाने के लिए पात्रतायुक्त हैं।

3. कि इस योजना के प्रावधान एवं यह करारनामा उपयोज्य होगा या इसयोजना के तहत गारंटी पाने के लिए पात्र होंगे।

4. कि हम इस योजना के तहत गारंटी के लाभ का दावा केवल इसे योजना के तहत विर्निष्ट आवास ऋण के बाबत ही करेंगे, बशर्ते कि इसमें निहित हो और यह कि हम इस उद्देश्य के लिए शपथपत्र (हलफनामा) की प्राप्ति एवं संरक्षण करेंगे या ऋणकर्ता से संबद्ध अन्य दस्तावेज या ऋणकर्ता की साख को अन्य संदर्भों से खुद संतुष्ट करेंगे या अन्य रिकार्ड जो ऋणकर्ता के संबंध में हों जो गारंटी के लाभ प्राप्ति से युक्त हों या ऋणकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गए हों जो योजना के तहत गारंटी के पात्र बनाते हैं।

5. कि हम इस बात से सहमत हैं कि वह ऋणकर्ता जो पात्रता के लिए अवरूद्ध होगा तो यथानुसार एवं योजना की शर्तों के अनुसार, गारंटी के किसी भी लाभ से च्युत किया जाएगा और इस उद्देश्य हेतु, हम ऋणकर्ता से इस प्रकार की सूचनाएं, घोषणायें प्राप्त करेंगे जोकि न्यास के लिए अनिवार्य हो सकती हैं।

6. कि खाता-बही, लेजर (बहियां) तथा अन्य दस्तावेज जो ऋण सुविधा की पात्रता से संबंधित हों, योजना के द्वारा कवर्ड(आवृत) होंगे, जहां तक हो सके व्यवहार्य हो, अलग एवं औचित्यपूर्ण ढंग से अनुरक्षित, जैसे कि इस जांच-पड़ताल (छानबीन) की सुगमित बनाए या राष्ट्रीय आवास बैंक या भारत सरकार के द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है या फिर न्यास के द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति न्यास हेतु कर सकता है।

7. कि हम वचन देते हैं कि हम उन दस्तावेजों का भारत सरकार/राष्ट्रीय आवास बैंक या न्यास या उसके द्वारा तय की गई एजेंसी के अधिकारियों के लिए उपलब्ध करायेंगे जिन्हे कि न्यास की ओर से विनिर्दिष्ट किया गया हो, जोकि केस अनुसार हो सकता है सभी अपनी वहियों एवं रिकार्डों को एवं अन्य ऐसी सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराएंगे जोकि इस प्रकार की छानबीन एवं निरीक्षण के लिए अपेक्षित हो सकते हैं।

8. कि हम न्यास को वे सभी विवरणियां उपलब्ध करायेगें जो न्यास को किसी स्वरूप एवं ढंग से अपेक्षित हो सकती है और वे ऋण के बकाये को इस प्रकार दर्शाती हो जिसमें मूलधन एवं ब्याज/अन्य व्यय स्पष्ट हो तथा वे योजना के तहत पात्र आवास ऋण के परिप्रेक्ष्य में हो और न्यास को जब कभ भी अपेखित हो।

9. कि हम ट्रस्ट को वे सभी सूचनाएं प्रदान करेंगे जोकि न्यास (ट्रस्ट) को आवास ऋण की पात्रता के लिए किसी भी तरीके एवं स्वरूप में तथा कुछ समयावधि के अंतराल से अपेक्षित हो सकती है।

10. कि न्यास के इस लायक सक्षम बनाना कि वे यह पक्का कर सकें कि किसी पात्र ऋण सुविधा के किसी खाते में दावा किया गया है या नहीं जोकि इसके तहत आवृत हों, हम अच्छी नियत से विस्तृत विवरण या विवरणियां संरक्षित करेंगे जिन्हे धारा 7, 8 एवं 9 में संदर्भित किया गया है और इसके साथ है। ऋण सुविधा से संबद्ध औचित्यपूर्ण दस्तावेज भी उपलब्ध कराएंगे।

11. कि हम, प्रत्येक पात्र ऋण सुविधा के संबंध में, बकायों की वसूली हेतु अपेक्षित विवेक का उपयोग करेंगे और न्यास के हितों को संरक्षित करेंगे। हम, विशेष रूप से, गारंटी लागू करने के पहले या तदोपरांत मिटाने या शामिल करने की हरकतों सेदूर रहेंगे जोकि गारंटीकर्ता के रूप में न्यास हितों पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। और हम इस प्रकार के ऋणकर्ता या किसी अन्य पक्ष से किसी भी जोखिम में पड़े लागू समझौते में हस्तक्षेप से पहले न्यास से अनुमति प्राप्त करेंगे जोकि आस्तियों के उन्मोचन में प्रभाव डाल सकती है।

12. कि योजना के तहत गारंटी को लागू करने पर हम जिम्मेदारी लेते हैं कि न्यास को इस प्रकार से आवेदन को जमा करेंगे जोकि उपरोक्त न्यास द्वारा बताया गया हो और वे सभी सूचनाएं उपलब्ध कराएंगे जोकि न्यास के लिए आवश्यक हो सकती हैं।

13. कि हम न्यास को सुरक्षा या इसकी नियुक्त उपयुक्त एजेंसी को आवास ऋण की प्राथमिक प्रतिभूति के निरीक्षण के अधिकार के अनुसार, न्यास के द्वारा जब और जहां की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रतिभूतित(जमानती) करेंगे।

14. कि न्यास की वेबसाइट के लिए चूकर्ता ऋणियों (उधारकर्ताओं) के नाम एवं अन्य विवरणों की सूची न्यास या उसके द्वारा अधिकृत एजेंसी के लिए प्रतिभूतित करेंगे।

15. कि योजना में समाहित कुछ भी प्रतिकूल होते हुए भी, यदि योजना के द्वारा आवृत खाते के तहत कोई भी हानि होती है जो कि गलत कार्यवाही/निर्णय या न्यास द्वारा जारी दिशा निर्देश में परस्पर विरोधी होने के कारण होता है तो हम उपरोक्त खाते के लिए न्यास में दावा नहीं करेंगे और न ही किसी दावे के लिए अधिकृत भी होंगे।

16. कि सभी आवेदनों, दस्तावेजों, प्राप्तियों, विवरणियों एवं अन्य कागजदि हमारे संस्थान की ओर से मुख्य कार्यपालक अधिकारी या अन्य किसी अधिकारी या हमारे कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित होंगे जिन्हे कि ऐसे आवेदनों, दस्तावेजों प्राप्तियों, विवरणियों एवं अन्य कागजादि में हस्ताक्षर हेतु अधिकृत किया गया होगा, माना जाएगा और यह कि हस्ताक्षर में किसी भी प्रकार की अनियमितता या उस व्यक्ति प्राधिकृतता की मांग की गई हो, ताकि न्यास के अधिकारों कोई प्रभाव या पूर्वाग्रह नहीं आएगा या इसके सापेक्ष तदत्तर अपनी देयताएं नहीं प्रभावित होंगी।

17. कि सभी आंकड़े, जिसमें, आवेदनपत्र, आवधिक विवरणी, निधि स्थानांतरण या इलैक्ट्रोनिक फार्म में ट्रस्ट में अद्यतन या स्थानांतरण हमारे संस्थान की ओर से मुख्य कार्यपालक अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति जिसे कि संस्थान ने ऐसे आवेदनों, अभिलेखो, प्राप्तियों विवरणियों एवं अन्य पत्रादि के लिए अधिकृत किया है माना जाएगा, के द्वारा हस्ताक्षरित माना जाएगा। और उपरोक्त में किसी सदस्या पहचान पत्र, हस्ताक्षर के लिए उस व्यक्ति के प्राधिकृतता की अपेक्षा की गई हो किसी प्रकार से न्यास के अधिकारों में कोई प्रभाव या पूर्वाग्रह नहीं आएगा या इसके सापेक्ष तदंतर अपनी देयताएं नहीं प्रभावित होंगी।

18. कि हम ऐसी लेखांकन व्यवस्था को प्रारंभ एवं अनुपालित करेंगे जो न्यास के लिए अपेक्षित या न्यास के द्वारा अनिवार्य हो सकती है या ऐसे अन्य उपाय उठाएंगे जो कि आवश्यक हो सकते हैं या उन आवास ऋणों के खाते में बकाया शेष के हितों की सुरक्षा के लिए व्यावहारिक हो सकते हैं जिनपर न्यास की गारंटी लागू हो।

19. कि यह वचन (करारनामा) दिनांक/--------------माह के -------दिन से प्रभावी होगा।

20. इस वचन पत्र (करारनामें) में लगने वाली स्टैंप ड्युटी हमारे द्वारा देय होगी।

भवदीय,

कृते एवं के पक्ष में------------

हस्ताक्षर------------------

नाम--------------------

पद---------------------

सील(मोहर)----------------

स्थान: ---------------------------------------

तिथि: ---------------------------------------

सूचना:

(1) यह वचन पत्र (करारनामा) ऋणदाता संस्थान द्वारा क्रियान्वित किया जाना है ताकि न्यास द्वारा विस्तारित गारंटी सुविधा को पाने के लिए स्वयं सदस्य के रूप में पंजीकृत हों।

(2) यह वचनपत्र उस (प्राधिकृत) अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसे ऋणदाता संस्थान के उपयुक्त प्राधिकरण ने प्राधिकृत किया हो।

(3) यह वचन पत्र एक अनुबंध (करारनामे) के रूप में स्टैम्पकृत किया जाना है। स्टैम्प ड्युटी की देयता उस स्थान के आधार पर निर्भर होगी, जहां इसे क्रियान्वित किया जाना है और/या किया जाएगा।

(4) कृपया ऋण जोखिम गारंटी निधि योजना के सदस्य के रूप में पंजीयन के अनुमोदन हेतु अपने निदेशक मंडल का संकल्प (प्रस्ताव) संलग्न करें।